वैज्ञानिक सोसायटियों तथा शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए नियम तथा दिशानिर्देश :

1.0 योजना का नाम–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पत्रिका के प्रकाशन, वैज्ञानिक सिम्पोजिया/सेमिनार के आयोजन तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य–कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान/प्रशिक्षण–विस्तार शिक्षा/नीति संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भा.कृ.अ.प की ..... योजना निधियों में से पत्रिका के प्रकाशन, तथा सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन/कांग्रेस (अ0भा0सं0अ0प0 कार्यशालाओं के सिवाय) को आयोजित करने पर किये गये खर्च की मांग को आंशिक रूप से पूरा करना।

3.0 पात्रता की कसौटी–अनुदान के लिए निम्नलिखित संगठन पात्र हैं।

3.1 वैज्ञानिक/व्यावसायिक सोसायटी/एसोसियेशन्स :

3.1.1 सोसायटी अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिनियम पंजीकरण के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

3.1.2 कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान/शिक्षा/विस्तार शिक्षा के प्रोत्साहन में सक्रिय रूप से शामिल हो।

3.1.3 किसी क्षेत्र, धर्म, रेस, जाति, पंथ अथवा भाषा को ध्यान में न रखते हुए इस की सदस्यता नियमों के अनुसार भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए खुली होनी चाहिए।

3.1.4 जिनके पास 100 से अधिक सदस्य हैं, वे ही सहायता के लिए पात्र होंगे लेकिन अपवाद होगा यदि इनकी एक विशिष्ट/उभरती शाखा अथवा विषय हो और उनके बाद इसके लिए सार्थक औचित्य हो।

3.2 सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक संगठन

3.2.1 वे जो कृषि के क्षेत्र तथा संबद्ध शाखाओं में अनुसंधान/शिक्षा/विस्तार शिक्षा का संचालन कर रहे हों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

3.2.2 वे सभी लोग जिनके यहा की सदस्यता भारत के सभी नागरिकों के लिए क्षेत्र, धर्म, रेस, जाति, पंथ अथवा भाषा के बिना भेदभाव के खुली हो।

3.2.3 गैर सरकारी संगठनों/गैर शैक्षणिक निकायों को निधियां केवल तभी दी जायेगी यदि वे शैक्षणिक निकाय/व्यावसायिक सोसायटियों के सहयोग से इवेन्ट आयोजन करते रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों/गैर शैक्षणिक निकायों को निधियों को प्रदान करने के लिए उनके अनुरोध पर ध्यान देने से पहले शैक्षणिक/व्यावसायिक निकायों से वचनबद्धता प्राप्त करनी होगी (अनुबंध–VII)]

3.3 भा.कृ.अ.प. मुख्यालय तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थान

3.4 कृषि विश्वविद्यालय

3.5 सामान्य विश्वविद्यालय – जो कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान में लगे हैं तथा जिन की स्थापना राज्य विधानमंडल अथवा संसद के अधिनियमों के अंतर्गत की गई हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

4. अनुदान का स्वरूप तथा मात्रा

4.1 अनुदान का स्वरूप

4.1.1 वैज्ञानिक/व्यावसायिक सोसायटी में पत्रिका के प्रकाशन के लिए

4.1.2 वैज्ञानिक/व्यावसायिक सोसायटी, सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक निकायों तथा सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए जहां कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था है, को उनके द्वारा चुने गये लक्ष्यों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम/सम्मेलन/विशषज्ञ परामर्श करने के हेतु।

4.1.3 वैज्ञानिक/व्यावसायिक सोसायटी, सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक निकायों, भा.कृ.अ.प. मुख्यालयों तथा इसके संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, तथा सामान्य विश्वविद्यालयों

को, जिनकी कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में स्नातकोत्तर के पहचाने गये प्राथमिकता वाले उद्देश्य के क्षेत्र पर राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन के आयोजन के लिए।

4.1.4 विषय संबद्धता तथा महत्व के प्रायोजित प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के लिए एक विशिष्ट अवधि के भीतर ही राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन कराने के लिए उपयोगी तथा कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेमिनार/सिम्पोजियम को आयोजित करने के लिए अच्छे प्रस्तावों के लिए सभी संस्थानों, (भा.कृ.अ.प. के संस्थानों सहित) सामान्य तथा कृषि विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के लिए ऐसे क्षेत्रों की सूची को व्यापक रूप से अपने वैबसाइट सहित परिचालित करेगी। उपयुक्त मेजबान संस्थान का चयन प्रतियोगी आधार पर होगी।

4.2 अनुदान मात्रा

4.2.1 सेमिनार/सिम्पोजयम/सम्मेलन को आयोजित करने के लिए अलग–अलग सोसायटी/एसोसियेशन/संस्थान को वित्तीय सहायता की मात्रा इसकी संबद्धता तथा क्षमता एवं प्रस्ताव के मैरिट को ध्यान रखकर की जायेगी। तथापि वित्तीय सहायता अनुदान पाने वाले निकाय द्वारा चुने गये विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता 3.50 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होगी तथा 5.00 लाख तक परिषद द्वारा पहचाने गये विषय पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय इवेन्ट की राशि अलग अलग मामले के आधार पर निर्धारित की जायेगी परन्तु 10.00 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होगी।

4.2.2 पत्रिका के प्रकाशन के लिए 'ए' श्रेणी की पत्रिकाओं के लिए सहायता राशि 2.00 लाख रू0 (एन ए ए एस रेटिंग : 6 से उपर) 'बी' श्रेणी की पत्रिकाओं के लिए 1.50 लाख रू0 (एन ए ए एस रेटिंग 4.0 तथा 5.9 के बीच) तथा 'सी' श्रेणी की पत्रिकाओं के लिए 1.00 लाख रू0 (एन ए ए एस रेटिंग 2.0 तथा 3.9 के बीच) परिषद के मूल्यांकन के अनुसार सहायता की राशि दी जायेगी।

4.2.3 पत्रिका के लिए अनुदान मैचिंग आधार पर अर्थात प्रापक सोसायटी को सम्पूर्ण मैचिंग अनुदान के रूप पत्रिका के प्रकाशन से संबद्ध खर्च का कम से कम 50 प्रतिशत भी वहन करना होगा।

4.2.4 पत्रिका के प्रकाशन के लिए एक सोसायटी को परिषद की सहायता केवल एक पत्रिका तक ही सीमित होगी।

4.3 अनुदान की बारम्बारता

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत कोई भी पंजीकर्ता सोसायटी/निकाय एक सेमिनार/सिम्पोजियम/विशेषज्ञ परामर्श कराने के लिए परिषद की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। राष्ट्रीय तथा–अंर्तराष्ट्रीय इवेन्ट मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार होगा तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर मैरिट के आधार पर विचार किया जोगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय तथा इसके संस्थान एवं कृषि विश्वविद्यालय केवल पहचाने गये प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के संबंध में भा.कृ.अ.प. पर सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन आयोजित करने के लिए पात्र होंगे। सामान्यतः एक वर्ष में एक निकाय के लिए पहचाने गये प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के संबंध में भा.कृ.अ.प. पर दो सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन पर विचार किया जायेगा। पत्रिकाएं नियम3.0 तथा 4.2.2 के अनुसार वार्षिक अनुदान के लिए शामिल की जाएगी।

5. अनुदान का उद्देश्य एवं उपयोग

5.1 वैज्ञानिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए (हार्ड कापी/आनलाइन)

5.1.1 सचिवालयी सहायता

5.1.2 सम्पादकीय स्टाफ को मानदेय

5.1.3 कागज की लागत, डाक व्यय तथा वस्तुओं के डुप्लीकेशन सहित लेखन सामग्री

5.1.4 छपाई तथा जिल्द चढ़ाने की लागत

5.1.5 छपाई प्रेस से संबद्ध संगठन के पंजीकृत कार्यालय में दरों की लागत जैसे आकस्मिक खर्चे

5.1.6 साफ्टवेयर की खरीद तथा रख–रखाव

5.2 सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन आयोजन करने के लिए

5.2.1 सचिवालयी सहायता

5.2.2 लेखन सामग्री

5.2.3 आकस्मिक खर्चे जैसे परिवहन, दृश्य श्रृव्य उपकरण तथा आडिटोरियम

5.2.4 वैज्ञानिक प्रदर्शनी/पोस्टर प्रस्तुतीकरण

5.2.5 परिपत्र/सार/स्मारिका/कार्यवाही/आमंत्रित भाषण की छपाई

5.2.6 राष्ट्रीय तथा अंर्तराट्रीय सिम्पोजियम/सेमिनार/सम्मेलनों में आमंत्रित लोगों के लिए कुल 16 व्यक्ति जिनमें 10 वक्ता/सभापति तथा छः युवा वैज्ञानिक/पी एच.डी विद्यार्थी (35 वर्ष से कम की आयु) हो जिनका प्रस्तुतीकरण (मौखिक अथवा (पोस्टर) उपयुक्त गठित समिति द्वारा निर्णय दिया गया है, उनके यात्रा भत्तें प्राप्त किये जायेगे।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया

6.1 सिम्पोजिया/सेमिनार/सम्मेलन करने तथा पत्रिका के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता हेतु अलग से आवेदन पत्र दिये जायेगें।

6.2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र दिये जाने चाहिए (अनुबंध–**I** तथा **II)** जिसकी प्रतिलिपि अनुच्छेद पर प्राप्त की जा सकती है अथवा भा.कृ.अ.प. की बैवसाइट www.cca@ org.in से डाउनलोड की जा सकती है। प्रत्येक मामले में 15 सितम्बर तक प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण प्रोफार्मा भरकर तथा नियम 6.6 में दी गई अंतिम तिथि के अनुसार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय इवेन्टस के लिए अनुदान पर विचार करने के लिए प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित होगा।

6.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले सोसायटी/संगठन यह सुनिश्चित करे कि पूर्ण वर्षों में परिषद द्वारा रिजीज किये गये अनुदान के लेखा परीक्षित प्रमाण पत्र, यदि कोई है तो प्रस्तुत किया जाये तथा परिषद द्वारा इसकी पावती भेजी जाये। किसी भी सोसायटी/संगठन को स्वीकृत/रिलीज की गई अनुदान नहीं दी जायेगी जो पहले दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में लेखा परीक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में चूक गये।

6.4 आवेदन पत्र में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा चेयरपर्सन/प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए आनलाइन प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को तरजीह दी जाये।

6.5 वे आवेदन पत्र जो शर्तों को पूरा नहीं करते अथवा अपूर्ण हो उन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों की स्थायी समिति को सूचना के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

6.6 सेमिनार/सिम्पोजिया/सम्मेलन का आयोजन करने के लिए किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह निम्न में दी गई अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की जाती है।

राष्ट्रीय इवेन्टस :

- यदि इवेन्ट अगली जनवरी और अप्रैल के बीच 15 सितम्बर अथवा पहले हो।
- यदि इवेन्ट अगली मई और अगस्त के बीच 15 जनवरी अथवा पहले हो।
- यदि इवेन्ट अगले सित्तम्बर और दिसम्बर के बीच 15 मई अथवा पहले हो।

अंतर्राष्ट्रीय

- यदि इवेन्टस अगली जनवरी तथा अप्रैल के बीच 15 मई अथवा पहले हो
- यदि इवेन्ट मई तथा अगस्त के बीच 15 सितम्बर अथवा पहले हो।
- यदि इवेन्ट सितम्बर तथा दिसम्बर के बीच 15 जनवरी अथवा पहले हो।

6.7 पत्रिका के प्रकाशन हेतु

पत्रिका के प्रकाशन के लिए परिषद से वार्षिक वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने वाली सोसायटी/निकायों को पत्रिका के नवीनतम अंक की कम से कम दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जोकि आवेदन पत्र के साथ साथ अनुसूची के एक वर्ष से पीछे की न हो तथा 6.2, 6.3 तथा 6.4 के अनुसार लेखा परीक्षित प्रमाणपत्र हो। बाद के वर्षों में वार्षिक अनुदान के नवीकरण के लिए उस वर्ष के अधिक से अधिक 31 जुलाई तक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

6.8 आवेदन पत्र जो शर्त पूरा नहीं करते अथवा अपूर्ण है, उन पर विचार नही किया जाएगा। तथापि ऐसे आवेदन पत्रों की एक सूची, सूचना के लिए स्थायी समिति के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

6.9 सोसायटी अधिनियम के तहत जिस सोसायटी की वैध पंजीकरण संख्या होगी वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान प्राप्त करने के लिए शामिल की जाएगी। यह सोसायटी सक्रिय होनी चाहिए तथा अपने गठन के अनुसार निष्पादन कर रही हो।

6.10 आवेदन पत्र के साथ साथ चैक सूची (अनुबंध 3 (III) तथा 3 (IV) में यह अवश्य ही विधिवत रूप से भरा जाय।

6.11 सोसायटी/निकायों के आयोजन के लिए नोडल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की कम से कम तीन महीने पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने आवश्यक होगी। परिषद द्वारा ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/ सिम्पोजिया/सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता के रिलीज के लिए किसी अनुरोध पर आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी।

7. भा.कृ.अ.प. में आवेदन पत्र का मूल्यांकन

7.1 पत्रिका के प्रकाशन के लिए

7.1.1 अनुदानों के उद्देश्य के लिए पत्रिका का स्तर नास रेटिंग के आधार पर किया जायेगा तथा किसी भी तीन श्रेणियों अर्थात 'ए' 'बी' तथा 'सी' में रखा जायेगा। जैसाकि उल्लेख किया गया है कि श्रेणी के अनुसार सहायता की मात्रा होगी। जो पत्रिकाएं ('सी' श्रेणी में भी नहीं आती) इन्हें सहायता नहीं दी जायेगी।

7.1.2 मूल्यांकन कसौटी के आधार पर पत्रिका को किन्ही तीन श्रेणियों अर्थात 'ए' 'बी' तथा 'सी' में रखा जायेगा तथा सहायता की मात्रा श्रेणी के अनुसार प्रदान की जायेगी। जो पत्रिकाएं श्रेणी 'सी' में भी नहीं आती उन्हें सहायता नहीं दी जायेगी।

7.1.3 परिषद से सहायता प्राप्त कर रही पत्रिकाओं के स्तर की नास रेटिंग के आधार पर सावधिक समीक्षा की जायेगी। पत्रिकाएं ('बी' तथा 'सी' श्रेणी) जो महत्वपूर्ण सुधार दर्शायेगी उनका उन्नयन किया जायेगा जबकि जो लगातार स्तर से गिर रही हो तथा क्वालिटी के सुधार में असफल हो, उन्हें डाउनग्रेड/बंद कर दिया जायेगा।

7.2 राष्ट्रीय/अंतर्राट्रीय सेमिनार/सम्मेलन का आयोजन करने के लिए

7.2.1 क्या लक्ष्य की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिदेश से भिन्न संबद्धता है? इसका उल्लेख किया जाए।

7.2.2 उद्देश्य का वैज्ञानिक ढांचा तथा संसाधन व्यक्तियों का ब्यौरा, प्रतिभागियों आदि (भारतीय तथा विदेशी) की संख्या का ब्यौरा क्या है।

7.2.3 हम मुद्दे पर विचार करने के लिए विगत में किसी अन्य संगठन द्वारा कोई प्रयत्न किया है ? यदि हां तो इसके ठोस परिणाम क्या हैं तथा कैसे प्रस्तावित उद्देश्य आगे कार्यक्रम को सुदृढ़ करेगा।

7.2.4 प्रस्तावित निकाय का व्यावहारिक गतिरोध तथा ट्रैक रिकार्ड क्या है?

7.2.5 क्या विगत में प्रस्ताव करने वाले निकाय ने ऐसा इवेन्ट आयोजित किया है? यदि हां तो वैज्ञानिक कार्यक्रम, संसाधन व्यक्ति (भारतीय तथा विदेशी), कार्यक्रम का निष्कर्ष, किया गया व्यय, विज्ञान से प्राप्त लाभ , देश, क्षेत्र अथवा विश्व आदि का ब्यौरा दें।

7.2.6 कैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के समाधान में आशा किये गये परिणाम मिल सकते हैं।

7.2.7 कुल आकालित व्यय? लागत कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य ऐजेन्सियों/स्रोतो आदि से सहायता की मात्रा के लिए अनुरोध ।

8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आवेदन पत्र की प्रक्रिया

8.1 वे सभी आवेदन पत्र जो सम्पूर्ण हो उसकी भा.कृ.अ.प. के तकनीकी समन्वय अनुभाग द्वारा फाइल पर कार्यवाही की जायेगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्तावित सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन के उद्देश्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपयुक्तता तथा पत्रिकाओं की गुणवत्ता के बारे में उपयुक्तता, जिन्हें प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पत्रिकाओं की भा.कृ.अ.प. की मौजूदा सूची में शामिल नहीं किया गया है तथा अनुदान की राशि, जिसकी भा.कृ.अ.प. की वित्तीय सहायता के लिए यदि सिफारिश की गई हो, के संबंध में संबद्ध विषय वस्तु प्रभाग की टिप्पणियां प्राप्त की जाएगी। ऐसी नई पत्रिकाएं उनकी गुणवत्ता के मूल्यांकन के आगे के मूल्याकन के लिए एक उप समिति के समक्ष रखी जायेगी। बाद में विषय वस्तु प्रभागों/उप समिति की सिफारिशों के साथ आवेदन पत्र भा.कृ.अ.प. की स्थायी समिति के विचारार्थ रखी जायेगी। भा.कृ.अ.प. के महानिदेशक की मंजूरी भा.कृ.अ.प. स्थायी समिति की सिफारिशों पर फाइल पर मांगी जायेगी।

8.2 सेमिनार/सिम्पोजियम के आयोजन अथवा प्रिन्टिग तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि हेतु सभी प्रस्ताव/अनुरोध यदि एक बार वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित हो जाती है तो वह उसी उद्देश्य के लिए कार्यसूची में तब तक शामिल नही की जायेगी जब तक कि विशेष रूप से पूर्व कार्यवाही में उसका उल्लेख न किया गया हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो,

8.3 स्थायी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अपवाद वाले मामलों में भा.कृ.अ.प. के महानिदेशक सोसायटी/निकायों के पक्ष मं अनुदान को स्वीकृत कर सकते हैं जिसे बाद में स्थायी समिति द्वारा अभिपुष्ट किया जा सकता है।

9. भा.कृ.अ.प. द्वारा स्वीकृति को जारी करना जिसमें विभिन्न शर्ते शामिल हैं

9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता की स्वीकृति तभी जारी की जायेगी जब उसमें विशिष्ट नियम व शर्ते शामिल हो, जैसाकि विस्तार से (अनुबंध–V) में दिया गया है।

9.2 फीडबैंक प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद प्रत्येक सिम्पोजियम/सेमिनार/सम्मेलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वैज्ञानिक (वैज्ञानिकों) को प्रतिनियुक्त/नामजद करेगा जिसके लिए यह वित्तीय सहायता रजिस्ट्रेशन चार्ज के भुगतान के बिना की जायेगी यदि भा.कृ.अ.प. मुख्यालय से संभव नही हो तो पास के भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को नामांकित कर सकता है।

10. अनुदान पाने वाली सोसायटी/संस्थान द्वारा दिया गया शपथपत्र देना

अनुदान पाने वाली सोसायटी/संस्थान द्वारा दिया गया शपथपत्र देना होगा कि यह अनुदान शर्तों द्वारा संचालित है तथा अनुदान से सृजित अथवा स्थायी अर्जित अथवा अर्ध–स्थायी सम्पदा के बारे में विस्तार से भी सुचित करना होगा।

11. अनुदान जारी करना

सोसायटी/निकाय को वित्तीय सहायता स्वीकृत पत्र में निहित शर्तों पर उनकी स्वीकृति पर जारी की जायेगी, परिषद द्वारा शुरू शुरू में कुल स्वीकृत अनुदान राशि 3/4 रिलीज किया जायेगा बशर्ते कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुदान के लिए लेखा परीक्षित प्रमाण पत्र पूर्व वर्ष में प्राप्त कर लिया हो, यदि कोई हो, तथा परिषद में सोसायटी/निकाय द्वारा पंजीकरण की नवीनतम अंक की दो प्रतियां (अनुसूची से एक वर्ष से अधिक पहले न हो) उपलब्ध करायी जाये। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन के आयोजन करने के करीब एक महीने पहले अनुदान को जारी करने के सभी प्रयत्न किये जायेंगे, परिषद से बकाया राशि (1/4) अनुदान के लिए लेखा परीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध–VI) में फीडबैंक तथा सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन/बैठक आदि को विस्तार से कार्यवाही की प्राप्ति पर जारी की जायेगी।

12. अनुदान प्राप्त करने वाली सोसायटी/निकाय/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा लेखा का रख–रखाव।

12.1 प्राप्त करने वाली सोसायटी/निकाय/विश्वविद्यालय/संस्थान परिषद से प्राप्त अपने अनुदान का उचित ढंग से रख–रखाव करेगा।

12.2 प्राप्त करने वाली सोसायटी/निकाय को अपना वार्षिक लेखा वर्ष के बाद जुलाई तक परिषद द्वारा लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के साथ साथ मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक/संविधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा जो विधिवत लेखा परीक्षित हो।

12.3 अनुदान पाने वाली सोसायटी/निकाय द्वारा प्रस्तुत लेखा विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा जिसके लिए परिषद द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है।

12.4 जब तक कि, अनुदान पहले ही प्राप्त किया जा चुका हो के संबंध में अनुदान पाने वाली सोसायटी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा उपयोगिता प्रमाण पत्र को परिषद द्वारा स्वीकार किया जाता है, आगे उस संगठन को परिषद द्वारा कोई अन्य अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

12.5 एक विशेष वर्ष के लिए जारी अनुदान का उपयोग केवल उसी वर्ष के दौरान किया जायेगा। फिर भी, यदि किसी कारण से, सोसायटी/निकाय/संस्थान उस विशेष वर्ष में अनुदान का उपयोग नहीं कर पाता है, तो उसे परिषद को वापस कर दिया जायेगा।

12.6 अनुदान पाने वाली सोसायटी/निकाय/संस्थान द्वारा अर्जित सम्पदा, परिषद द्वारा दिए गए अनुदान में से पूर्णरूप से या पर्याप्त रूप में बिना परिषद के पूर्व अनुमति के जिसके लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया है के अलावा दूसरे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग या ऋणग्रस्त के निपटान के लिए उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

12.7 अनुदान पाने वाली सोसायटी/निकाय/संस्थान को परिषद के अनुदान में से पूर्णरूप से या पर्याप्तरूप से स्थायी या अर्ध स्थायी अर्जित सम्पत्ति का एक रजिस्टर जी.एफ.आर. 19 के रूप में रखने की आवश्यकता होगी और उसकी एक प्रतिलिपि परिषद को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाए।

13. सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के मामले में अनुवर्ती कार्रवाई और गतिविधि/समारोह के परिणाम की निगरानी।

सोसायटी/संस्थान/निकाय को सेमिनार/संगोष्ठी सम्मेलन के कार्यवृत्त **[**अनुबंध (**VI**)**]** में एक फीडबैक रिपोर्ट दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना जरूरी होगा। सोसायटी/निकायों को सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि की सिफारिशों को भा.कृ.अ.प. की सूचना के तहत संबंधित संगठन/संस्थान को कार्यान्वित करना आवश्यक होगा। फीड बैक रिपोर्ट और कार्यवृत्तों पर संबंधित डीडीजी की टिप्पणी प्राप्त की जायेगी और शेष राशि (कुल स्वीकृत का 1/4 हिस्सा) संतोषजनक टिप्पणी पर जारी की जायेगी और स्वीकृत अनुदान की एयूसी प्राप्त की जायेगी। परिषद को अपने संस्थानों को संबंधित सिफारिशों को उनके कार्यक्रमों में शामिल करने और विचार करने हेतु सूचित करना चाहिए।

14. उपर्युक्त उल्लेखित शर्तों में किसी भी तरह की छूट देने का अधिकार लिखित रूप में कारण देते हुए भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद के महानिदेशक को होगा।

****

अनुबंध –I

पशु विज्ञान और सम्बद्ध विषयों सहित कृषि में राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों को आयोजित कराने हेतु वैज्ञानिक सोसायटियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता मांगने के लिए आवेदन फार्म।

1.	समारोह का स्तर	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	
2.	सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन का शीर्षक		
3.	पूरे पते के साथ वैज्ञानिक सोसायटी/गैर सरकारी संगठन/शैक्षणिक संस्था का नाम		
4.	पदाधिकारी का नाम और पूरा पता जिसके साथ पत्राचार किया जाना है, का टेलीफोन, फैक्स सं0 और टेलीग्राफिक पता।		
5.	स्थापना का वर्ष		
6.	क्या सोसायटी अधिनियम, 1860 के पंजीयन या केन्द्रीय/ राज्य विधायिका के समकक्ष अधिनियम के तहत (यदि लागू हो) पंजीकृत है।		
7.	सदस्यता पात्रता मापदण्ड का वर्णन		
8.	सदस्यता शुल्क और सदस्यों की संख्या (केवल वैज्ञानिक सोसायटी के लिए)	शुल्क (रू0)	संख्या
	(i) आजीवन सदस्य		
	(ii) संस्थागत सदस्य		
	(iii) वैज्ञानिक सदस्य		
	(iv) छात्र सदस्य		
	(v) अन्य सदस्य (विशिष्ट)		
		कुल	
9.	सदस्यता शुल्क के रूप में एकत्रित राशि (पिछले एक साल के दौरान) (रू0)		
10.	सोसायटी/संस्था के कार्य का मुख्य क्षेत्र		

11.	संगठन द्वारा शुरू किए गए क्रिया कलापों का सार और इसके भावी कार्यक्रम		
	i) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों/संगोष्ठियों और उनके परिणाम/अनुवर्ती कार्रवाई		
	ii) पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित जर्नल/न्यूज लेटर एवं प्रोसिडिंगस		
	iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित अन्य प्रकाशन अर्थात पम्फलेट, ब्रॉशर, लिफलेट आदि		
	iv) क्या उपर्युक्त उल्लेखित प्रकाशनों की प्रतियां भा.कृ.अ.प. पुस्तकालय को नियमित भेजी जाती हैं।		
	v) भावी कार्यक्रम		
12.	सोसायटी की कार्यकारी समिति/परिषद		
	12.1 संघटक		
	12.2 चुनाव पद्धति/नियुक्ति का तरीका		
13.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संगठन की वित्तीय स्थिति		
	वर्ष	प्राप्ति (रू0)	खर्च (रू0)
14.	क्या संगठन के लेखों का पिछले वर्षों के लिए ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया गया है। यदि हां, तो इस संबंध में एक प्रति प्रस्तुत की जाए।		
15.	क्या संगठन अनुदान के लिए अलग से उचित लेखों को रखने के लिए सहमत है, यदि परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है।		

16.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परिषद से पहले ही प्राप्त की जा चुकी वित्तीय सहायता और उद्देश्य जिसके लिए यह प्राप्त की गई थी का विवरण, यदि कोई हो।						
	वर्ष	अनुदान की राशि (रू0)	उद्देश्य (सार रूप में)	कुल हुए खर्च (रू0)	अनुदान उपयोग की राशि (रू0)	क्या परिषद ने उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकार किया है ?	टिप्पणी
17.	सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।						
	17.1 शीर्षक						
	17.2 प्रस्तावित तिथि (यां)						
	17.3 स्थल (यदि स्थल भा.कृ.अ.प. के संस्थानों का परिसर है कृपया बताएं क्या अनुमति ली गई है)।						
	17.4 वैज्ञानिक विषय–वार कार्यक्रम के साथ व्यापक रूप रेखा						
	17.5 संभावित संसाधन व्यक्तियों (संख्या)						
	17.6 संभावित प्रतिभागियों की संख्या					(i) भारतीय : (ii) विदेशी :	
	17.7 प्रस्तावित समारोह की संभावना और उपयोगिता (तकनीकी/वैज्ञानिक/सेमिनार/सम्मेलन/बैठक के बारे में संक्षिप्त में बताया जाए/परिपत्र की एक प्रति भी संलग्न करें।)						
	17.8 क्या पूर्व में इस विषय पर ध्यान देने के लिए कोई कोशिश की गई है। यदि हां, तो वास्तविक परिणाम क्या है और किस तरह प्रस्तावित विषय भविष्य में इसे सुदृढ़ करेगा।						
	17.9 क्या परिणाम निकलने की आशा है और किस तरह इसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों का सामना करने के लिए लक्षित किया जाता है।						
	17.10 सहायता के लिए मांगी गई राशि : (रू0)						

18.	अनुमानित खर्च का विवरण		
	खर्च की मद	अनुमानित खर्च (रू0)	भा.कृ.अनु.प. से अपेक्षित सहायता
	क. सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन का आयोजन		
	1. सचिवालय सहायता		
	2. लेखन सामग्री (पेपर की लागत सहित डाक–शुल्क और लेखों की अनुलिपि)		
	3. आकस्मिक खर्चे (जैसे परिवहन, ऑडियो विजुअल उपकरण, खुले मैदान में ऑडिटोरिम किराये पर लेना)		
	4. पोस्टर प्रदर्शिनी आयोजन करने के लिए		
	5. विशेष आमंत्रितों के लिए यातायात खर्चों को पूरा करने हेतु		
	6. राष्ट्रीय विशेषज्ञ/वक्ता/अध्यक्ष (अधिकतम दस)		
	7. छात्र/युवा वैज्ञानिक (35 वर्ष से कम आयु के) (अधिकतम छः)		
	8. अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ (अधिकतम) दो, स्थानीय आतिथ्य की सीमा		
	उप–योग		
	ख. पेपरों/कार्यवृत्तों की छपाई		
	1. परिपत्रों/स्मारिका/आमंत्रित व्याख्यानों आदि की छपाई		
	2. कार्यवृत्तों/तकनीकी पेपरों की छपाई		
	उप–योग		
	कुल योग		
19.	यदि विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है, तो क्या उनकी भागीदारी के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई है से :	हां/ना	
	(क) प्रशासनिक/आयोजक नोडल मंत्रालय से		
	(ख) विदेश मंत्रालय		
	(ग) गृह मंत्रालय		

20.	क्या उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अनुदान हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से अनुदान के लिए आवेदन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया बताएं :–	
	(i) संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारियों का नाम	
	(ii) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मांगा गया है।	
	(iii) मांगे गए अनुदान की राशि (रू0)	
	(iv) प्राप्त अनुदान की राशि (रू0)	
21.	क्या परिषद की निबंधन शर्तों पर सोसायटी/संस्था को अनुदान स्वीकार्य है ?	हां/ना

स्थान :

प्रायोजित अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाण पत्र

क) ऊपर दी गई सूचना सही है;

ख) यदि दी गई जानकारी बाद की तिथि में गलत पाई जाती है, मैं यह वचन देता हूं कि सहायता की सम्पूर्ण राशि परिषद को वापस कर दी जायेगी।

ग) प्राप्त की गई राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है;

घ) इस संबंध में परिषद के सभी निणर्यों को मैं स्वीकार करूंगा; और

ङ) प्रमाणित किया जाता है कि _____ (व्यवसायिक निकाय / सोसायटी का नाम) स्कीम की सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करेगा।

(च) जांच सूची संलग्न है।

दिनांक :

स्थान :

सोसायटी के अध्यक्ष या
सचिव/संस्था के अध्यक्ष/
कुलपति के हस्ताक्षर कार्यालय
की मोहर के साथ

अनुबंध–II

पशु विज्ञान और सम्बद्ध विषयों सहित कृषि में जर्नल के प्रकाशन हेतु वैज्ञानिक सोसायटी द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के लिए आवेदन फार्म

1.	जर्नल का नाम		
2.	पूरा पता के साथ वैज्ञानिक सोसायटी का नाम		
3.	पदाधिकारी का नाम और पूरा पता जिसके साथ पत्राचार किया जाना है, का टेलीफोन, फैक्स सं0 और ई–मेल आईडी		
4.	स्थापना का वर्ष		
5.	क्या सोसायटी अधिनियम, 1860 के पंजीयन या केन्द्रीय/राज्य विधायिका के समकक्ष अधिनियम के तहत (यदि लागू हो) पंजीकृत है		
6.	वर्णित सदस्यता शुल्क और सदस्यों की संख्या (केवल वैज्ञानिक सोसायटी के लिए)		
	सदस्यता का प्रकार	शुल्क (रू0)	संख्या
	i) आजीवन सदस्य		
	ii) संस्थागत सदस्य/अंशदाता		
	iii) वैज्ञानिक सदस्य		
	iv) छात्र सदस्य		
	v) अन्य सदस्य (विशिष्ट)		
		कुल	
	(vi) सदस्यता शुल्क के रूप में एकत्रित राशि (पिछले वर्ष के दौरान)		
7.	सोसायटी के कार्य का मुख्य क्षेत्र		

8.	सोसायटी का राष्ट्रीय स्तर और ट्रैक रिकार्ड : संगठन द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों का सारांश और इसके भावी कार्यक्रम		
	(क) शुरू किए गए क्रियाकलापों का सार		
	(ख) पिछले तीन वर्षों मे आयोजित किए गए सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी और उनके परिणाम/अनुवर्ती कार्रवाई		
	(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित जर्नल, न्यूजलेटर एंव प्रोसिडिंगस		
	(घ) अन्य तकनीकी प्रकाशन		
	(ङ) क्या उपर्युक्त उल्लेखित प्रकाशनों की प्रतियां भा.कृ.अ.प. पुस्तकालय को नियमित भेजी जाती हैं।		
	(i) भावी कार्यक्रम		
9.	सोसायटी की कार्यकारी समिति/परिषद		
	(1) संघटक (2) चुनाव पद्धति / नियुक्ति का तरीका		
10.	संपादकीय मंडल का संघटन		
11.	बेजोड़ समीक्षा की प्रक्रिया (समीक्षाकर्त्ताओं का पैनल)		
12.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संगठन की वित्तीय स्थिति		
	वर्ष	प्राप्ति (रू0)	खर्च (रू0)
13.	क्या संगठन के लेखों का पिछले वर्षों के लिए ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया गया है। यदि हां, तो इस संबंध में एक प्रति प्रस्तुत की जाए।		
14.	क्या संगठन अनुदान के लिए अलग से उचित लेखा रखने के लिए सहमत है, यदि परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है।		

15.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परिषद से पहले ही प्राप्त हो चुकी वित्तीय सहायता और उद्देश्य जिसके लिए यह प्राप्त की गई थी का विवरण, यदि कोई हो।						
	वर्ष	अनुदान की राशि (रू0)	उद्देश्य (सार रूप में)	कुल हुए खर्च (रू0)	अनुदान उपयोग की राशि (रू0)	क्या परिषद ने उपयोगिता प्रभाग पत्र स्वीकार किया है ?	टिप्पणी
16.	प्रकाशन के लिए जर्नल जिसके लिए परिषद से अनुदान मांगा गया।						
	'क' जर्नल का शीर्षक और फोकस						
	'ख' प्रकाशन की आवर्तिता						
	(i) जर्नल के पहले अंक के प्रकाशन की तिथि						
	(ii) एक वर्ष में कितने अंक प्रकाशित होते हैं ?						
	(iii) क्या जर्नल अद्यतन प्रकाशित होता है। खण्डों की संख्या और अद्यतन अंक का वर्ष						
	(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान जर्नल के अंक में प्रकाशित शोध पत्रों एवं पृष्ठों की औसत संख्या						
	(v) क्या जर्नल के सभी प्रकाशित अंकों की दो प्रतियां नियमित रूप से भा.कृ.अ.प. को भेजी गई हैं।						
	(vi) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एबस्ट्रेक्टिंग/इंडेक्स सर्विसेज द्वारा कवरेज						
	ग. प्रकाशन की वर्तमान स्थिति						
	घ. पिछले 31 मार्च तक प्रकाशित अंतिम खण्ड और संख्या । (भा.कृ.अ.प.) केवल उन जर्नलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जोकि स्कीम से एक वर्ष से ज्यादा पिछले न हो)।						
	ङ. प्रेस में संख्या						
	च. वर्तमान वर्ष के दौरान प्रकाशित किए जाने की प्रस्तावित संख्या						

17.	भारत और विदेश में जर्नल का कुल वितरण			
18.	पिछले तीन वर्षों के दौरान जर्नल के प्रकाशन पर सोसायटी द्वारा किया गया कुल खर्च और सोसायटी द्वारा भा.कृ.अ.प. से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि			
	वर्ष	प्राप्ति	खर्च	एयूसी प्रस्तुत या नहीं
19.	वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमानित खर्च (रू0)			
20.	वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमानित आय :			
	(i) सदस्यता शुल्क (रू0)			
	(ii) बिक्री (रू0)			
	(iii) अन्य स्त्रोत (रू0)			
21.	परिषद से मांगी गई वित्तीय सहायता राशि (रू0)			
	(i) सचिवालय सहायता			
	(ii) संपादकीय दल को मानदेय			
	(iii) लेखन सामग्री की लागत			
	(iv) छपाई एवं बाइंडिग की लागत			
	(v) आकस्मिक खर्चे			
	(vi) अन्य दूसरे (विशिष्ट)			
	कुल			

22.	क्या उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अनुदान हेतु किसी अन्य स्त्रोत से अनुदान के लिए आवेदन किया गया है? यदि हां, तो कृपया बताएं।	
	(i) संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारियों का नाम	
	(ii) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मांगा गया	
	(iii) मांगे गए अनुदान की राशि (रू0)	
	(iv) प्राप्त अनुदान की राशि (रू0)	

स्थान :

प्रायोजित अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाण पत्र

(क) ऊपर दी गई सूचना सही है;

(ख) यदि दी गई जानकारी बाद की तिथि में गलत पाई जाती है, मैं यह वचन देता हूं कि सहायता की सम्पूर्ण राशि परिषद को वापस कर दी जायेगी।

(ग) प्राप्त की गई राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है;

(घ) इस संबंध में परिषद के सभी निणर्यों को मैं स्वीकार करूंगा; और

(ङ) प्रमाणित किया जाता है कि _____ (व्यवसायिक निकाय / सोसायटी का नाम) स्कीम की सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करेगा।

(च) जांच सूची संलग्न है।

दिनांक :

स्थान :

सोसायटी के अध्यक्ष या
सचिव/संस्था के अध्यक्ष/
कुलपति के हस्ताक्षर कार्यालय
की मोहर के साथ

अनुबंध–**III**

जांच सूची (चैक लिस्ट)

(सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजन में सहायता)

क्रम सं.	मानदंड	अनुपालन		टिप्पणी
		हां	नहीं	
1	क्या आवेदन भा.कृ.अ.प. के निर्धारित प्रपत्र में है ?			
2	क्या आवेदन सोसायटी मुख्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया है ?			
3	आवेदन के साथ एयूसी प्रस्तुत किया गया है ?			
4	क्या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह सोसायटी पंजीकृत है ?			
5	क्या आवेदन भा.कृ.अ.प. द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है ?			
6	क्या सोसायटी/निकाय अनुदान आवर्ती अर्थात 1/2/3 वर्षों में एक बार के मानदंडों को पूरा करते हैं ?			
7	क्या आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?			
8	अंर्तराष्ट्रीय समारोह के मामले में क्या नोडल मंत्रालय और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?			
9	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के मामले में क्या सहयोग के संबंध में शैक्षणिक निकाय/प्रोफेशनल सोसायटी से वचनबद्धता प्राप्त की गई है ?			
10	क्या सम्मेलन/संगोष्ठी/सेमिनार की विषय–वस्तु भा.कृ.अ.प. के कार्यालय आदेश के अनुरूप है ?			
11	क्या निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं ?			
	(क) सोसायटी पंजीकरण की प्रतिलिपि			
	(ख) परिषद की सहायता से आयोजित पिछले समारोह के कार्यवृत्त की दो प्रतियां			
	(ग) पिछले तीन वर्षों का सोसायटी के लेखों का आडिट किया हुआ विवरण			
	(घ) आडिट किया हुआ आय और व्यय विवरण तथा परिषद से प्राप्त पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण–पत्र			
	(ड.) समारोह की विवरणिका/उद्घोषणा की प्रति			
	(च) आयोजन समिति के सदस्यों की सूची			
	(छ) अंर्तराष्ट्रीय समारोह के मामले में नोडल, गृह तथा विदेश मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति पत्र की प्रतियां			
	(ज) तकनीकी सत्रों का विस्तृत कार्यक्रम			
	(झ) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के मामलों में सहयोग के लिए शैक्षणिक निकाय से वचनबद्धता			

अनुबंध–**IV**

जांच सूची (चेक लिस्ट)

(जर्नल के प्रकाशन हेतु सहायता)

क्रम सं.	मानदंड	अनुपालन		टिप्पणी
		हां	नहीं	
1	क्या आवेदन भा.कृ.अ.प. के निर्धारित प्रपत्र में है ?			
2	क्या आवेदन सोसायटी मुख्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया ?			
3	आवेदन के साथ एयूसी प्रस्तुत किया गया ?			
4	क्या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह सोसायटी पंजीकृत है ?			
5	क्या सोसायटी सही समय पर नियमित रूप से जर्नल प्रकाशित करती है ?			
6	क्या आवेदन भा.कृ.अ.प. द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है ?			
7	क्या आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?			
8	क्या यह जर्नल एन ए ए एस रेटिंग के अनुसार ए/बी/सी श्रेणी में आता है ?			
9	क्या जर्नल की विषय वस्तु भा.कृ.अ.प. के अधिदेश के अनुरूप है ?			
10	क्या जर्नल में सिर्फ संदर्भित लेखों के प्रकाशित किया जाता है ?			
11	क्या निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है ?			
	(क) सोसायटी पंजीकरण की प्रतिलिपि			
	(ख) जर्नल के नवीनतम अंकों की दो प्रतियां			
	(ग) पिछले तीन वर्षों का सोसायटी के लेखों का आडिटिड विवरण			
	(घ) आडिटिड आय और व्यय विवरण तथा परिषद से प्राप्त पिछले अनुदान का उपयोग प्रभाव–पत्र			

अनुबंध–**V**

वैज्ञानिक और शैक्षणिक संगठनों को भा.कृ.अ.प. द्वारा जारी स्वीकृति
पत्र में सामान्य तौर पर शामिल निबंधन एवं शर्तें।

1. संगठन को पहले स्वीकृत राशि की 3/4 राशि जारी की जाएगी और शेष 1/4 राशि को संलग्न प्रोफार्मा (जहां लागू है) में संगोष्ठी/सेमिनार/सम्मेलन पर फीडबैक, आडिट किए हुए उपयोग प्रमाण–पत्र तथा राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी/सेमिनार/सम्मेलन पर वास्तविक व्यय के बिलों या जर्नल के प्रकाशन के बिलों की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
2. अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन परिषद से प्राप्त अनुदान का पृथक तथा उचित लेखों के रूप में रख–रखाव करेंगे।
3. जर्नल के प्रकाशन के लिए अनुदान मैचिंग अनुदान आधार अर्थात अनुदान प्राप्त करने वाली सोसायटी भा.कृ.अ. प. से समकक्ष अनुदान (4.2.2 की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ) प्राप्त करने के लिए जर्नल के प्रकाशन पर कम से कम 50 प्रतिशत व्यय प्रदान करेंगी।
4. अनुदान प्राप्त करने वाले वर्ष (कैलेंडर या वित्तीय वर्ष जैसा भी मामला होगा) के आडिट किए हुए आय और व्यय लेखा की प्रति लगाई जाए जिसमें परिषद से प्राप्त उक्त अनुदान तथा विशिष्ट मदों पर संगठन द्वारा व्यय की गई राशि को दर्शाया जाए सोसायटी के सचिव तथा आडिटर (चार्टड एकांउटेंट) द्वारा क्रमशः हस्ताक्षरित तथा प्रति हस्ताक्षरित किया हुआ उपयोग प्रमाण–पत्र (दो प्रतियां संगठन द्वारा) वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद 31 जुलाई तक परिषद को प्रस्तुत किया जाए। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा प्रस्तुत लेखा विवरण में परिषद द्वारा स्वीकृति के लिए विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के लिए अनुदान के उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।
5. सोसायटी/संस्थान/संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन में परिषद द्वारा नामित किसी पंजीकरण प्रभार का भुगतान किए बगैर हिस्सा लेंगे।
6. अनुदान की खर्च न की गई राशि तथा संगठन के आडिटर/या परिषद द्वारा आपत्ति किए गए खर्च के हिस्से को इस बारे में प्राप्त पत्र की प्राप्ति पर तुरंत परिषद को लौटाया जाए।
7. जब तक अनुदान प्राप्त करने वाली सोसायटी पहले से प्राप्त अनुदान के बारे मे आडिटिड उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता तब तक संगठन को परिषद द्वारा आगामी अनुदान जारी नहीं किया जएगा।
8. एक विशिष्ट वर्ष के लिए जारी अनुदान का उपयोग सिर्फ उसी वर्ष के दौरान किया जाएगा।
9. स्वीकृत अनुदान के बारे में संगठन द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट/जर्नल में स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
10. संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के कार्यवृत्त की दो प्रतियां तथा प्रदर्शनियों से संबंधित साहित्य की प्रतियां बिना किसी लागत के नियमित रूप से सहायक महानिदेशक (समन्वय तकनीकी) तथा पुस्तकालय–अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को भेजी जाएंगी।
11. अनुदान से आंशिक या पूर्ण रूप से अर्जित स्थाई या अर्ध–स्थाई उपरोक्त संदर्भित परिसम्पत्ति को परिषद की लिखित स्वीकृति के बगैर, स्वीकृति में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजन से सोसायटी निकाय द्वारा निपटान, भारग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. बाद के वर्ष में जर्नल के प्रकाशन के लिए वार्षिक अनुदान के नवीकरण के लिए उस वर्ष के 31 जुलाई तक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

अनुबंध–**VI**

आयोजित सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि पर वैज्ञानिक और शैक्षणिक संगठनों से फीडबैक का प्रपत्र।

1. आवेदक निकाय का नाम
2. सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन का शीर्षक
3. स्थान और तिथि
4. प्रतिभागियों की संख्या भारतीय.....विदेशी.....
5. खर्च की गई राशि
6. भा.कृ.अ.प. द्वारा अनुदान की राशि
7. भा.कृ.अ.प. की स्वीकृति संख्या तथा दिनांक
8. समारोह की मुख्य उपलब्धियां
9. पहचानी गई/जारी करने के लिए तैयार प्रौद्योगिकियां
10. मौजूदा उत्पादन, संरक्षण तथा प्रबंधन तकनीक जिसमें सुधार की जरूरत है
11. पहचाने गए प्रौद्योगिकीय अंतराल
12. अंतराल पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट सिफारिशें
13. मुख्य प्रासंगिक नए पहचाने गए प्रबलित क्षेत्र
14. परिषद के लिए सिफारिशों की उपयोगिता
15. सोसायटी/संगठन द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई
16. टिप्पणी यदि कोई है

टिप्पणी : उपरोक्त सूचना परिषद को समारोह आयोजन के दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो 4–5 पृष्ठ से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध–**VII**

वचनबंध

यह वचन दिया जाता है कि ..... (संस्थान नाम) विषय वस्तु शीर्षक .....पर राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए संगठन.....के साथ सहयोग (एनजीओ) कर रहा है जो ..... पर दिनांक.....को आयोजित (स्थान) किया जाएगा। हम संगठन को जरूरी तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे तथा समारोह के लिए तकनीकी कार्यक्रम तैयार करेंगे, उचित सिफारिशें तैयार करेंगे तथा समारोह के कार्यक्रम को प्रकाशित करेंगे।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम : .....

पदनाम.....

कार्यालय मोहर.....

आनलाईन भुगतान के लिए बैंक विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	ब्रांच का नाम	ब्रांच कोड	लाभार्थी/संगठन का नाम और बैंक खाता संख्या	बैंक की एमआईसीआर संख्या	आईएफएससी कोड	इलैक्ट्रोनिक मोड (कोर/आरटीजीएस)
1	2	3	4	5	6	7	8

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता